न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 37 / 2024

अनवान : –

1. महावीर पुत्र लेखराम जाति स्वामी निवासी बाछुसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 26/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बाछुसर तहसील नोहर के खाता स0 65 / 65 के ख0न0 116 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि प्रार्थी की माता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि में प्रार्थी की माता का नाम पारी पत्नी लेखराम दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी की माता का वास्तविक व सही नाम फुली पत्नी लेखराम है जो की रोही मौजा बाछुसर के खाता स0 28 / 28 की भूमि में प्रार्थी की माता का नाम फुली पत्नी लेखराम ही दर्ज है एवं प्रार्थी के भाई महावीर पुत्र लेखराम व आशाराम पुत्र लेखराम द्वारा भी अपनी माता का नाम फुली है के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने अपनी माता का नाम पारी पत्नी लेखराम के स्थान पर फुली पत्नी लेखराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी की माता का नाम राजस्व रिकार्ड मे फुली के स्थान पर पारी दुरूस्त करे देवे जिससे प्रार्थी का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल पता ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ... जवाब ... को शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि में प्रार्थी की माता का नाम पारी पत्नी लेखराम दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है प्रार्थी की माता का वास्तविक व सही नाम फुली पत्नी लेखराम है जो की रोही मौजा बाछुसर के खाता स0 28/28 की भूमि में प्रार्थी की माता का नाम फुली पत्नी लेखराम ही दर्ज है एवं प्रार्थी के भाई महावीर पुत्र लेखराम व आशाराम पुत्र लेखराम द्वारा भी अपनी माता का नाम फुली है के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की माता का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने अपनी माता का नाम पारी पत्नी लेखराम के स्थान पर फुली पत्नी लेखराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बाछुसर तहसील नोहर के खाता स0 65/65 के ख0न0 116 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि पारी पत्नी लेखराम के नाम दर्ज है जो की प्रार्थी की माता है प्रार्थी का कथन है कि मेरी माता का नाम गलत दर्ज हुआ है मेंरी माता का सही व वास्तविक नाम फुली पत्नी लेखराम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी राकही मौजा बाच्छुसर खाता स0 28/28 की भूमि में फुली पत्नी लेखराम दर्ज है एवं प्रार्थी के भाई महावीर व आशाराम पुत्रगण लेखराम द्वारा भी शपथ पत्र पेश किया गया है कि हमारी माता का नाम पारी पत्नी लेखराम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा बाछुसर तहसील नोहर के खाता स0 65/65 के ख0न0 116 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि में पारी पत्नी लेखराम के स्थान पर पारी उर्फ फुली पत्नी लेखराम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:10 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2024 / 356

दिनांक : 28/3/25

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 37 / 2024 अनवानी महावरी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 37 / 2024

अनवान : —

1. महावीर पुत्र लेखराम जाति स्वामी निवासी बाछुसर तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बाछुसर तहसील नोहर के खाता स0 65 / 65 के ख0न0 116 की कुल 2.8710 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि में **पारी पत्नी लेखराम के स्थान पर पारी उर्फ फुली पत्नी लेखराम** का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.01 15:24:10 IST
Reason: SelfAttested